

प्रारूप = पुक

(नियम 11 देखिये)

कांसालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

पत्र क्र. / १३८५४.../ पु-अर्जन/2024

दिनांक १३-१२-२०२४

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की द्वारा 4 सहपतित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्—

| ज़िला | तहसील  | गाम/नगर  | क्षेत्रफल | लोक प्रयोजन का विवरण  |
|-------|--------|----------|-----------|---|
| कोरबा | कटघोरा | सरईसिंगर | 3.299 हे. | हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला -<br>इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक २०.११.२०२४ समय १२.०० बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन रंगबेल में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि का अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला - इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 26 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 26 परिवार
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन च्यूनतम है? : हॉ
7. क्या रामब विकल्पों और इराकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? : हॉ
8. परियोजना की कुल लागत : रु. 199.20 करोड़
9. परियोजना से होने वाले लाभ : मार्ग निर्माण होने से ग्रामवारी जिला मुख्यालय से सतत जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा।
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय : प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला संभावित व्यय व्यय का प्रावधान किया गया है।
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक: निरंक

कार्यपालन अभियंता

लोनिवि. कोरबा संभाग कोरबा

  
अनुमित्तान्वय अधिकारी (रा.)  
राह. भू-अर्जन अधिकारी  
कटघोरा

(अभियंता वसंत)

कलेक्टर

ज़िला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग